7/5/18

पत्रावली कौन्ध कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते लिहाजा वादी बंद की जाती है। वकील बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलान पर मनन किया गया। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल हो) सुनाया।

S Dok.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/192/15

बउनवान

1. शीला पुत्री कंचन पत्नी रतन जाति मीना
2. छोटी पत्नी कंचन जाति मीना

   निवासीयान ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर

3. नत्थी पुत्री कंचन पत्नी शिवचरण जाति मीना निवासी

   रोनीजाथान तहसील कठूमर हाल अदलपुर तहसील मण्डावर

—— वादियागण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र किशोर जाति मीना निवासीयान रोनीजाथान

   तहसील कठूमर

— असल प्रतिवादीगण

2. कैलाश पुत्र गुटटल जाति मीना
3. गुड़डी वेवा कंचन जाति मीना
4. रेखा पुत्री कंचन जाति मीना
5. सनम पुत्री कंचन जाति मीना
6. आराम पुत्र कंचन जाति मीना

   प्रति0 रेखा, सुमन, आराम नाबालिगान जरिये

   सपरस्त माता गुडडी जाति मीना

   निवासीयान ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री संजय अवस्थी :– अधिवक्ता वादिया

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 07.05.2018

वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1413 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादिया वो तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला06 के 5/13 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के 8/13 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादिया व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ला08 अपने 5/13 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है। लेकिन प्रतिवादी जबर्दस्त किस्म का व्यक्ति है जो विवादित आराजी में वादिया व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला06 के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः वादियागण ने प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने व दावा वादियागण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादियागण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता हाजिर हुआ तथा अपना जवाव दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ला0 6 दिनांक 27.01.2004 को बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 13.03.2018 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादियागण ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सवत् 2056 से 2059 प्रदर्श–2 वाके रोनीजाथान की सत्यप्रतिलिपी पेश की ळें वादियागण ने अपने समर्थन में गवाह वादिया शीला पी डब्ल्यू 1, भरोसी पी डब्ल्यू 2, धनसीराम पी डब्ल्यू 3 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस एकपक्षिय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादियागण ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादियागण व तरतीवी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करना चाहता है वादियागण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है। अतः प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे व दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादियागण की एक पक्षिय वहस पर मनन किया। प्रदर्श 1–2 जमावन्दी संवत् 2056 से 2059 वाके ग्राम रोनीजाथान में विवादित आराजी वादियागण व तरतीवी प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज होने से वादियागण का दावा हुक्मइन्तनाई दवामी चलने योग्य नहीं है। अतः वादियागण का दावा सावित ना होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 1413 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर वावत सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

आज दिनांक 07.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

Scanned by CamScanner